खनिज साधन विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

विभाग के दायित्व

खनिज साधन विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैः—

(अ) नीति संबंधी विषयः

1. खनिज संसाधनों की खोज, पूर्वेक्षण एवं आकलन.
2. खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास
3. पट्टे, रियायतें देना तथा खनिज राजस्व का संग्रहण.
4. खनिज अधिकारों पर कर.

(आ) विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम और नियमः

1. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957.
2. गौण खनिज नियम, 1996.
3. खनिज रियायत नियम, 1960.
4. तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम 1959.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालयः

1. भौमिकी तथा खनिकर्म, संचालनालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय.

विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय एवं उपक्रम

यह प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रकृति ने छत्तीसगढ़ राज्य को खनिज संसाधनों के रूप में अनुपम सौगात प्रदान की है। प्रकृति प्रदत्त इन खनिजों के अन्वेषण, दोहन एवं विकास हेतु खनिज साधन विभाग अपने अधीनस्थ संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म तथा छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सतत् प्रयत्नशील है।

1 छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग के अन्तर्गत संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का मुख्यालय रायपुर में है। संचालनालय की विभागीय संरचना निम्नानुसार है :—

जिनके नियंत्रण में कार्य हो रहा है.	कार्यालय	स्थान
संचालक	मुख्यालय	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ, सोनाखान भवन, रायपुर
क्षेत्रीय प्रमुख	क्षेत्रीय कार्यालय	रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर
जिलाध्यक्ष / उप–संचालक (ख.प्र.) / खनि अधिकारी	खनि शाखा, जिलाध्यक्ष कार्यालय	समस्त जिलों में

2 संचालनालय में खनिज सर्वेक्षण कार्य को गुणात्मक बनाने के लिये निम्नानुसार प्रयोगशालाएं कार्यरत है :–

मुख्यालय रायपुर	रासायनिक, प्रस्तर, भू–भौतिकी एवं फोटो भौमिकी प्रयोगशाला
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	रासायनिक प्रयोगशाला
क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	कोयला प्रयोगशाला
क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	रासायनिक प्रयोगशाला

3 भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय के लिए स्वीकृत और कार्यरत अमला निम्नानुसार है :–

श्रेणी	कुल पद	कार्यरत अमला
राजपत्रित		
प्रथम श्रेणी	35	27
द्वितीय श्रेणी	52	32
अराजपत्रित तृतीय श्रेणी		
अलिपिकवर्गीय	206	158
लिपिक वर्गीय	111	94
चतुर्थ श्रेणी	106	89
नैमित्तिक देय		
तृतीय श्रेणी	38	30
चतृर्थ श्रेणी	20	18
योग	568	448

खनिज साधन विभाग के अंतर्गत गठित निगम
छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय रायपुर में है, कार्पोरेशन की संरचना निम्नानुसार हैः–

जिनके नियंत्रण में कार्य हो रहा है.	कार्यालय	स्थान
प्रबंध संचालक	मुख्यालय	सोनाखान भवन, रायपुर
प्रभारी अधिकारी	उप कार्यालय	अम्बिकापुर एवं दंतेवाड़ा

1 सी.एम.डी.सी. का गठनः– कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सी.एम.डी.सी. का गठन 7 जून 2001 को किया गया ।

2 सीएमडीसी के गठन के समय मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम (एमपीएसएमसी) के पक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित खनि रियायतें स्वीकृत थी :–

क्र.	खनिज का नाम	खनि रियायतों की संख्या
1	बाक्साइट	03
2	टिन	01
3	रेत	96

एम.पी.एस.एम.सी. के बंटवारे में यह सहमति हुई कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र की खनि रियायतें सी.एम.डी.सी. को अंतरित होंगी। भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2007 को दोनों राज्यों के राज्य खनिज निगमों के मध्य बटवारा–समझौते को स्वीकृति दी गई ।

3 सीएमडीसी के गठन के समय छत्तीसगढ़ राज्य में निगम का मुख्य व्यवसाय रेत उत्पादन था । राज्य शासन द्वारा दिनांक 26.1.2003 से रेत को रायल्टी मुक्त करते हुए रेत खदानों को खुला घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप सीएमडीसी का व्यवसाय नगण्य प्रायः रह गया।

4 सीएमडीसी की कार्य योजना का लक्ष्य कार्पोरेशन द्वारा मुख्य खनिजों की खनिज रियायतें प्राप्त कर स्वतः अथवा संयुक्त उपक्रमों का गठन करके व्यवसाय बढ़ाना है। राज्य शासन व्दारा कार्पोरेशन के पक्ष में वित्तीय वर्ष 2005–06 तक स्वीकृत खनिज रियायतों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	खनिज	खनिपट्टा स्वीकृत	प्रोस्पेक्टिंग लायसेंस स्वीकृत
1.	बाक्साइट	18	—
2.	टिन	6	6
3.	कोरण्डम	2	—
4.	डोलोमाइट	1	—
	कुल	27	6

सी.एम.डी.सी. के पक्ष में वर्ष 2006–07 (माह जनवरी 2007 तक) स्वीकृत, अनुशंसित खनिज रियायतों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	खनिज	खनिपट्टा		प्रास्पेक्टिंग लायसेंस		आर. पी.	
		स्वीकृत / आबंटित	भारत सरकार को अनुशंसित	स्वीकृत	भारत सरकार को अनुशंसित	स्वीकृत	भारत सरकार को अनुशंसित
1.	बाक्साइट	1	2	—	—	—	—
2.	टिन	—	—	1	—	1	—
3.	कोरण्डम	2	—	—	—	1	—
4.	लौह अयस्क	—	—	1	—	—	—
5.	कोयला	5	1 (लारा)	—	—	—	—
	कुल	7	3	2	—	1	—

नोटः– भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सी.एम.डी.सी. को 05 कोल ब्लाक क्रमशः छ.ग. राज्य के अंतर्गत तारा, गारेपेलमा, सेक्टर– I सोंडिया, शंकरपुर तथा उडीसा राज्य के अंतर्गत चेण्डीपाडा एवं चेण्डी पाड़ा – II संयुक्त रूप से उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि, सी.एम.डी.सी. तथा महाराष्ट्र पावर जेनरेशन कार्पो. लि. को आबंटित किया गया है ।

5 निगम के पक्ष में स्वीकृत प्रॉस्पेक्टिंग लायसेंस और खनिपट्टों के क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही विभिन्न चरणों में प्रचलन में हैं। निकट भविष्य में

कोयला, बाक्साइट, टिन तथा कोरंडम के कई क्षेत्रों में खनन कार्य प्रारंभ होने की सम्भावना है।

5.1 सी.एम.डी.सी. की तारा परियोजना से उत्पादित कोल खनिज की आपूर्ति सी.एस.ई. बी. द्वारा सरगुजा जिले में स्थापित किये जाने वाले 1000 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट को की जाएगी। प्लांट की आवश्यकता की पूर्ति के बाद शेष बचा कोयला राज्य के अन्य उद्योगों को विक्रय किया जाएगा।

5.2 गारे–पेलमा–सेक्टर–1 से प्राप्त कोयले की आपूर्ति ऐसे लघु एवं मध्यम स्थानीय उद्योगों जिनके पास स्वयं की केप्टीव कोल माइन्स नहीं है तथा कोयले का लिंकेज भी नहीं है की मांग की आपूर्ति की जावेगी।

6 **लौह अयस्क** :– बैलाडीला डिपाजिट 13 पर एनएमडीसी–सीएमडीसी की संयुक्त प्रक्षेत्र कंपनी बठित की जा रही है।

7 **सी.एम.डी.सी. के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है** :–

रूपये (लाखों में)

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	कुल प्राप्ति	कुल व्यय	लाभ/हानि	रिमार्क
(i)	2001–02	403.13	279.9	(+) 123.23	
(ii)	2002–03	616.99	530.08	(+) 86.91	
(iii)	2003–04	195.27	278.45	(–) 83.17	राज्य सरकार द्वारा रेत खनिज को रायल्ठी मुक्त किये जाने के कारण
(iv)	2004–05	184.40	203.28	(–) 18.88	तदैव
(v)	2005–06	91.02	212.74	(–) 121.72	तदैव
(VI)	2006–07	298.88	320.75	(–) 21.87	तदैव

8 राज्य शासन द्वारा सीएमडीसी को विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए खनिज विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2006–07 में निम्नानुसार मदों में राशि प्रदान की गई है :–

स.क्र.	मद	राशि (करोड़ में)
1.	तारा कोल परियोजना	6.76
2.	कोरण्डम खनिज परियोजना	0.92
3.	टिन खनिज परियोजना	1.03
	योग	8.71